न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा
गोपाल बनाम मोहनलाल वगै0

किस्म मुकदमा:– 225/कोटा मिसल नं0 2025/283

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
30/07/2025	विद्वान अभिभाषक श्री बाबूलाल मेघवाल की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 32/2020 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.07.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अन्तरिम स्थगन हेतु सुनी गई। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.07.2020 का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.07.2020 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 02.07.2020 में प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजी के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश अंकित है तथा आगामी तारीख पेशी 07.08.2020 नियत की हैं तथा प्रकरण वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सन् 2020 में संस्थित किया गया है तथा लगभग 5 वर्षो की समयावधी व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का आज तक अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अर्जेंट नेचर के प्रश्नगत प्रकरण को लम्बित रखने में विधिक प्रावधानों की उपेक्षा की गई है । प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.07.2020 अंतरिम प्रकृति का आदेश है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना	

शेष है। अतः ऐसी स्थिति में अपील के वर्तमान स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण मे गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। प्रश्नगत प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर विधिक प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखकर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। चूंकि प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है अतः प्रकरण का शीघ्र अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत 30 दिवस के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 की पालना में प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा